कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कुकदुर
जिला – कबीरधाम (छ0ग0)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

–0::0–

क्रमांक/214/बाविपरि/आं.बा.कार्य.,सहा.नियु./2026–27 कुकदुर दिनांक 28/10/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02–04–2008 एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग (छ0ग0) इन्द्रावती भवन ब्लॉक–01 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/IT/830/2025-WCD HOD ITSECTION IT/ नवा रायपुर दिनांक 05/01/2026 के द्वारा आं.बा. कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कुकदुर जिला–कबीरधाम (छ0ग0) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। उक्त पद की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम/पारे/टोले की निवासी) ई–भर्ती पोर्टल URL https://aww.e-bharti.in/ में दिनांक **27.10.2026 से 11.11.2026** तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के User manual में दर्शित है, जिसका उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है। **परियोजना कार्यालय में प्राप्त आवेदन या डॉक से प्रषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।**

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम/क्रमांक	रिक्त पद का नाम
1	कुकदूर	मुनमुना	मुनमुना	सागौना	बैगापारा सागौना	कार्यकर्ता
2	कुकदूर	छीरपानी	सरईसेत	सरईसेत	सरईसेत-01	सहायिका
3	कुकदूर	छीरपानी	सरईसेत	सरईसेत	सरईसेत-02	सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ हैं –

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवश्यक अर्हताएँ :–

1.1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा।

1.2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे ।

1.3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

1.4 01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका/संगठिका/ सह–सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक छुट दी जावेगी। 01 वर्ष से कम अनुभव के आवेदिका को आयु सीमा की छुट की पात्रता नही होगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हे दोबारा सेवा में नही लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी/शहरी विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

1.5 जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहां पद रिक्त है, आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा:–

क. उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।

अथवा

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम के निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

टीपः यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा ।

1.6 आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **8वी उत्तीर्ण** होगी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **12वी उत्तीर्ण** होगी।

टीपः शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजनाओं में यदि कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता के कोई भी आवेदन प्राप्त नही होते है तो नियुक्ति निर्देश की कंडिका 1.6 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उससे कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जावेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के चयन हेतु मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन प्रपत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर अंक दिये जावेंगे।

1.7 आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन किये जाने पर कक्षा 8 वीं की अंकसूची ग्रेडिग पद्धति में होने पर संबंधित प्रधान पाठक का रजिस्टर के मूल्यांकन पत्रक के अनुसार प्राप्तांक/पूर्णांक प्राप्त प्रतिशत का हस्ताक्षरित **अंकतालिका प्रधानपाठक/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर आवेदन पत्र के साथ पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।** अंकतालिका संलग्न नही होने पर मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

1.8 यदि चयन प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे संबंधियों (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु अर्ह होंगे तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं को चयन प्रक्रिया से पृथक रखें एवं उन्हे पृथक रखा जावेगा।

1.9 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदिका नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिसकी छः माह की वैधता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समाप्त न हुई हो) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित अंक की पात्रता होगी। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1.10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किये गये है। इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को अवाश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण :– (क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा– 1) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावे।

अथवा

2) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण भी प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(घ) परित्यक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

2. संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक/8513/आईसीडीएस–1/ 2020–21/नवा रायपुर दिनांक 15.01.2021 में जारी निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (स्वतः शामिल सूचकांक/स्वतः वंचन सूचकांक में आने वाले परिवार) ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही अनिवार्य होगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवी तक अध्ययन करने का प्रमाण पत्र में दाखिल खारिज एवं अंकसूची के आधार पर पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।

4. सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर अपलोड किए जाएंगे।
5. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें इस अवधि में किसी भी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की पदों की पूर्ति से संबंधित शासन द्वारा संशोधित निर्देश प्राप्त होने पर यथा अनुसार नियुक्ति प्रकिया पूर्ण की जायेगी ।
7. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. आ.बा. कार्यकर्ता/सहायिका के पदो के पूर्ति से सबंधित शासन द्वारा संशोधित निर्देश प्राप्त होने पर यथा अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।
9. विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर नियुक्ति नियमावली का अवलोकन किया जा सकता है।
10. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावे।
11. विज्ञापन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा विज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
कुकदुर, जिला कबीरधाम

पृ0क्रमांक/215/बाविपरि/आं.बा.कार्य.,सहा.नियु./2026–27 कुकदुर दिनांक 26/10/2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला–कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकरी (राजस्व) पण्डरिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पण्डरिया को सादर सूचनार्थ।
5. संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायतको सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना फलक में चस्पा कराने एवं कोटवार से मुनादी कराने का कष्ट करेगें, तथा मुनादी कराने की तिथि संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कुकदुर,में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
कुकदुर, जिला कबीरधाम